

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
Central Board of Direct Taxes

No. 12 /2016.

Notification

New Delhi, the 2<sup>nd</sup> March, 2016.

**S.O. \_\_\_ (E).** - In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the State Load Despatch Centre Unscheduled Interchange Fund – West Bengal State Electricity Transmission Company Limited (PAN AAIAS0980J), a trust constituted under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) in respect of the following specified income arising to that trust, namely :-

- (a) residual money in the unscheduled interchange pool balance account;
- (b) interest on fixed deposits and auto-sweep accounts; and
- (c) income incidental to or related to unscheduled interchange.

2. The notification shall be subject to the following conditions, namely that the State Load Despatch Centre Unscheduled Interchange Fund – West Bengal State Electricity Transmission Company Limited,-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) shall not change its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the said Act.

3. This notification shall be deemed to be applicable for the financial years 2012-2013, 2013-2014, 2014- 2015 and applicable for the financial years 2015-2016 and 2016-2017.

[F.No. 196/51/2012-ITA.I]



(Deepshikha Sharma)

Director to the Government of India

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Mayapuri,  
New Delhi.

12  
2/3/16

Deepshikha



[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

संख्या 12 /2016

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च, 2016

का.आ.\_\_\_\_(अ). - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजनों के लिए स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर अनसडयूलड इंटरचेंज फंड - वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पैर नं0 (एएआईएस0980जे), जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 (2003 का 36) के तहत गठित निकाय है, को उक्त निकाय के उद्भूत होने वाली विनिर्दिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है, नामित :-

- (क) अनसडयूलड इंटरचेंज चार्ज;
- (ख) ब्याज से उद्भूत या व्युत्पन्न आय;
- (ग) विनिर्दिष्ट ओर अनसडयूलड इंटरचेंज चार्ज से आय के संबंध में।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि, नामित स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर अनसडयूलड इंटरचेंज फंड - वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड :-

- (क) यह कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) इसके क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे;
- (ग) यह उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (च) के उपबंधों के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 के लिए लागू माना जाएगा और वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 तक लागू रहेगी।

[फा.सं.196/51/2016-आ.फा.नि-1]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।

